

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
11.02.2026 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2055 का उत्तर

हिंगोली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवा से जुड़ी शिकायतें

2055. श्री नागेश बापुराव अष्टिकर पाटिल:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार महाराष्ट्र के हिंगोली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में ट्रेनों के बार-बार रद्द होने, इनके कम दूरी पर समाप्त होने, इनका अनियमित संचालन, हाल ही में कोचों की क्षमता में कमी/सामान्य कोचों को हटाने, आरक्षित टिकटों की अनुपलब्धता, लंबी प्रतीक्षा सूची और अत्यधिक भीड़-भाड़ के कारण यात्रियों को हो रही गंभीर कठिनाई से अवगत है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विशेष रूप से दैनिक यात्रियों, छात्रों, महिलाओं और बुजुर्ग यात्रियों, किसानों, रोगियों आदि पर पड़ने वाले प्रभाव का ब्यौरा क्या है और ऐसी बाधाओं और बढ़ती मांग के बावजूद कोचों की संख्या में वृद्धि न होने के क्या कारण हैं;
- (ग) क्या यह सच है कि हिंगोली जिले के कई रेलवे स्टेशनों में वर्तमान में बुनियादी यात्री सुविधाओं और सुरक्षा अवसंरचना में गंभीर कमियां हैं, जिनमें खराब शौचालय, पीने के पानी की कमी, अपर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, फुट ओवरब्रिज का अभाव और असुरक्षित प्लेटफार्म शामिल हैं;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बार-बार जनता द्वारा दिये गए अभ्यावेदनों के बावजूद इन स्टेशनों के उन्नयन/पुनर्विकास में देरी के क्या कारण हैं;
- (ङ) क्या सरकार को हिंगोली रोड और आसपास के स्टेशनों पर महत्वपूर्ण लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए ठहराव उपलब्ध कराने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो यात्रियों को महंगे और असुरक्षित सड़क मार्ग की यात्रा से बचाने के लिए इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और
- (च) इस पिछड़े और जनजाति बहुल निर्वाचन क्षेत्र में समय पर रेल सेवाएं बहाल करने, स्टेशन अवसंरचना में सुधार करने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए

सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित तत्काल सुधारात्मक उपायों और बजटीय प्रावधानों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च) भारतीय रेल द्वारा यात्रियों को सुरक्षित और बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने के प्रयास में अवसंरचनात्मक और अनुरक्षण संबंधी कार्य किए जाते हैं। इन कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए, कुछ रेलगाड़ियों का आंशिक रद्दकरण, रद्दकरण और डायवर्जन आवश्यक होता है। तदनुसार, 2025-26 के दौरान, हिंगोली डेक्कन स्टेशन से गुजरने वाली गाड़ियों की कुछ यात्राएं रद्द कर दी गईं और रेलगाड़ियों को डायवर्ट किया गया। बहरहाल, कार्य पूरा होने के बाद इन्हें वापस बहाल कर दिया जाता है।

हिंगोली डेक्कन को 38 रेलगाड़ी सेवाओं द्वारा सेवित किया जा रहा है, जो नागपुर, पुणे, मुंबई, जयपुर, हजूर साहिब नांदेड़, तिरुपति, काचेगुडा, डॉ. अंबेडकर नगर (महू) जैसे शहरों को संपर्कता प्रदान करती हैं।

क्रमांक	रेलगाड़ी सं. और नाम
1	11403/04 नागपुर - एससीएसएम (टी) कोल्हापुर एक्सप्रेस
2	11405/06 पुणे - अमरावती एक्सप्रेस
3	12071/72 मुंबई सीएसएमटी - हिंगोली डेक्कन जन शताब्दी एक्सप्रेस
4	12421/22 हजूर साहिब नांदेड़ - अमृतसर एक्सप्रेस
5	12439/40 हजूर साहिब नांदेड़ - श्री गंगानगर एक्सप्रेस
6	12485/86 हजूर साहिब नांदेड़ - श्री गंगानगर एक्सप्रेस
7	12719/20 जयपुर - हैदराबाद एक्सप्रेस
8	12751/52 हजूर साहिब नांदेड़ - जम्मू तवी हमसफर एक्सप्रेस
9	12765/66 तिरुपति - अमरावती एक्सप्रेस
10	17605/06 काचीगुडा - भगत की कोठी एक्सप्रेस
11	17639/40 काचीगुडा - अंकोला एक्सप्रेस
12	17641/42 काचीगुडा - नरखेड एक्सप्रेस
13	17683/84 अकोला - पूर्णा एक्सप्रेस

14	19301/02 डॉ अंबेडकर नगर (महू) - यशवंतपुर एक्सप्रेस
15	19713/14 जयपुर - कुर्नूलु सिटी एक्सप्रेस
16	22709/10 हजूर साहिब नांदेड - अम्ब अंदौरा एक्सप्रेस
17	22723/24 हजूर साहिब नांदेड - श्री गंगानगर एक्सप्रेस
18	57655 परली वैजनाथ-अंकोला पैसेंजर
19	57656 अंकोला-पूर्णा पैसेंजर
20	77613 पूर्णा-अंकोला डेम्
21	77614 अकोला-परली वैजनाथ डेम्

इसके अलावा, रेलगाड़ी सेवाओं को ठहराव देने का प्रावधान, खंड पर अतिरिक्त समय की उपलब्धता और प्लेटफॉर्म की लंबाई आदि जैसी अनुकूल अवसंरचना की उपलब्धता सहित यातायात औचित्य, परिचालन व्यवहार्यता पर निर्भर करता है।

अमृत भारत स्टेशन योजना

इसके अलावा, स्टेशनों पर बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए, रेल मंत्रालय ने दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है। इस योजना से स्टेशनों में सुधार लाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और उनका चरणबद्ध कार्यान्वयन शामिल हैं। इस मास्टर प्लान में निम्नानुसार शामिल हैं:

- स्टेशन और परिचलन क्षेत्रों तक पहुंच में सुधार,
- स्टेशन का शहर के दोनों भागों के साथ एकीकरण,
- स्टेशन भवन में सुधार,
- प्रतीक्षालय, शौचालय, बैठने की व्यवस्था, पेयजल बूथों में सुधार,
- यात्री यातायात के अनुरूप चौड़े पैदल पार पुल/एयर कॉनकोर्स का प्रावधान
- लिफ्ट/स्वचालित सीढ़ियों/रैंप का प्रावधान
- प्लेटफॉर्म की सतह और प्लेटफॉर्म पर कवर में सुधार/प्रावधान
- 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क का प्रावधान,
- पार्किंग क्षेत्र, मल्टी मोडाल एकीकरण,
- दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं,
- बेहतर यात्री सूचना प्रणाली

- प्रत्येक स्टेशन पर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एकजीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए नामित स्थान, लैंडस्केपिंग आदि का प्रावधान

इस योजना में आवश्यकतानुसार, चरणबद्ध और व्यवहार्य रूप से दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित रेलपथ का प्रावधान आदि और दीर्घावधि में स्टेशन पर सिटी सेंटर के निर्माण की भी परिकल्पना की गई है।

अब तक इस योजना के तहत विकास के लिए 1337 स्टेशनों को चिह्नित किया गया है, जिनमें हिंगोली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के हिमायतनगर, हिंगोली डेक्कन और किनवट स्टेशन सहित 132 स्टेशन महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। महाराष्ट्र में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए चिह्नित किए गए स्टेशनों के नाम निम्नलिखित हैं:

राज्य	स्टेशनों की संख्या	स्टेशनों के नाम
महाराष्ट्र	132	अहमदनगर, अजनी (नागपुर), अक्कलकोट रोड़, अकोला, आकुर्डी, अमलनेर, आमगाँव, अमरावती, अंधेरी, बडनेरा, बल्हारशाह, बांद्रा टर्मिनस, बारामती, बेलापुर, भंडारा रोड, भोकर, भुसावल, बोरीवली, भायखला, चालीसगाँव, चांदा फोर्ट, चंद्रपुर, चर्नी रोड, छत्रपति संभाजी नगर, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, चिंचपोकली, चिंचवाड, दादर (मध्य रेल), दादर (पश्चिम रेल), दहिसर, दौंड, देहु रोड, देवलाली, धामणगांव, धरणगांव, धाराशिव, धर्माबाद, धुले, दिवा, दुधनी, गंगाखेर, गोधानी, गोंदिया, ग्रांट रोड, हडपसर, हातकणंगले, हजूर साहिब नान्देड, हिमायत नगर, हिंगनघाट, हिंगोली डेक्कन, इगतपुरी, जलगाँव, जालना, जेऊर, जोगेश्वरी, कल्याण जंक्शन, कामटी, कांदिवली, कंजुर मार्ग, कराड, काटोल, केडगाँव, किनवट, कोपरगाँव, कुर्दुवाडी जंक्शन, कुर्ला जंक्शन, लासलगाँव, लातूर, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, लोनंद जंक्शन, लोनावाला, लोअर परेल, मलाड, मलकापुर, मनमाड जं, मानवत रोड, मरीन लाइन्स, माटुंगा, मिराज जंक्शन, मुदखेड़ जंक्शन, मुंबई सेंट्रल, मुंब्रा, मुर्तिजापुर, नागरसोल, नागपुर जं, नंदगाँव, नांदुरा, नंदुरबार, नरखेड़ जंक्शन, नासिक रोड, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी जंक्शन, पाचोरा जंक्शन, पालघर, पंढरपुर, पनवेल जंक्शन, परभणी जंक्शन, परेल, परली वैजनाथ, परतूर, फलटाण, प्रभादेवी, पुलगाँव जंक्शन, पुणे जंक्शन, पूर्णा जंक्शन, रावेर, रोटेगांव,

		साईनगर शिर्डी, सैंडहस्ट रोड, सांगली, सातारा, सावदा, सेलू, सेवाग्राम, शहाड, शेगांव, शिवाजी नगर पुणे, श्री छत्रपति शाहू महाराज टर्मिनस कोल्हापुर, सोलापुर, तलेगांव, ठाकुर्ली, ठाणे, टिटवाला, तुमसर रोड, उमरी, उरुली, वडाला रोड, विद्याविहार, विक्रोली, वडसा, वर्धा, वाशिम, वाठार
--	--	--

महाराष्ट्र में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों पर विकास कार्य अच्छी गति से किए जा रहे हैं। अब तक इस योजना के तहत महाराष्ट्र में 17 स्टेशनों (अमगाँव, बारामती, चांदा फोर्ट, चिंचपोकली, देवलाली, धुले, केडगांव, लासलगांव, लोणंद जंक्शन, माटुंगा, मुर्तिजापुर जंक्शन, नांदुरा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी जंक्शन, परेल, सावदा, शहाड, वडाला रोड) का कार्य पूरा हो चुका है। अन्य स्टेशनों पर भी कार्य अच्छी गति से किए गए हैं और उपरोक्त स्टेशनों में से कुछ की प्रगति निम्नानुसार है:

- हिमायतनगर स्टेशन: स्टेशन भवन, प्रांगण, प्लेटफॉर्म शेल्टर, प्लेटफॉर्म सतह, प्रतीक्षालय, शौचालय, परिचलन क्षेत्र और लिफ्ट का सुधार का कार्य किया गया है।
- हिंगोली डेक्कन स्टेशन: प्लेटफॉर्म सं. 2 के प्लेटफॉर्म शेल्टर और प्लेटफॉर्म सतह के सुधार का कार्य पूरा हो चुका है। नए स्टेशन भवन का निर्माण, मौजूदा स्टेशन भवन का सुधार, प्लेटफॉर्म सं. 1 की प्लेटफॉर्म सतह, परिचलन क्षेत्र, लिफ्ट और 12 मीटर पैदल पार पुल का कार्य शुरू किया गया है।
- किनवट स्टेशन: स्टेशन भवन, प्रांगण, प्लेटफॉर्म शेल्टर, प्लेटफॉर्म सतह, प्रतीक्षालय, शौचालय, परिचलन क्षेत्र, लिफ्ट और 12 मीटर पैदल पार पुल के सुधार का कार्य शुरू किया गया है।
- वाशिम स्टेशन: स्टेशन भवन, प्रांगण, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म शेल्टर, प्रतीक्षालय, शौचालय, परिचलन क्षेत्र, लिफ्ट और 12 मीटर पैदल पार पुल के सुधार का कार्य शुरू किया गया है।
- मानवत रोड स्टेशन: प्लेटफॉर्म शेल्टर का कार्य पूरा हो चुका है। स्टेशन भवन, प्रवेश द्वार, प्लेटफॉर्म की सतह, प्रतीक्षालय, शौचालय और लिफ्ट के सुधार का कार्य शुरू किया गया है।

इसके अलावा, भारतीय रेल पर शौचालयों, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, पैदल पार पुल, प्लेटफार्मों आदि के प्रावधान सहित स्टेशनों का विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण एक सतत और निरंतर प्रक्रिया है और इस संबंध में कार्य आवश्यकता के अनुसार, पारस्परिक प्राथमिकता और निधि की उपलब्धता के अध्यधीन किए जाते हैं। स्टेशन का विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण स्टेशन की श्रेणी/स्थिति/संभाले गए यातायात आदि के आधार पर किया जाता है।

रेलवे स्टेशनों का विकास/उन्नयन जटिल प्रकृति का है जिसमें यात्रियों और रेलगाड़ियों की संरक्षा शामिल है और इसके लिए विभिन्न वैधानिक मंजूरी जैसे दमकल विभाग, धरोहर, पेड़ों की कटाई, हवाई अड्डा मंजूरी आदि की आवश्यकता होती है। ब्राउन फील्ड से संबंधित चुनौतियों जैसे कि उपयोगिताओं का स्थानांतरण (जिसमें पानी / सीवेज लाइनें, ऑप्टिकल फाइबर केबल, गैस पाइप लाइनें, बिजली/सिग्नल केबल आदि शामिल हैं), उल्लंघन, यात्री आवाजाही में बाधा डाले बिना ट्रेनों का संचालन, पटरियों के निकटता में किए गए कार्यों के कारण गति प्रतिबंध और उच्च वोल्टेज बिजली लाइनें आदि के कारण प्रगति भी प्रभावित होती है और ये कारक समापन समय को प्रभावित करते हैं।

देश भर में रेल परियोजनाओं/कार्यों के लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूपों में सुझाव/अभ्यावेदन, रेलवे बोर्ड, क्षेत्रीय रेलों, मंडल कार्यालय आदि सहित विभिन्न स्तरों पर राज्य सरकारों, संसदीय सदस्यों, केंद्र सरकार के मंत्रालयों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, रेलवे की अपनी आवश्यकताओं, संगठनों/रेल उपयोगकर्ताओं आदि द्वारा उठाई गई मांगों के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं। इस तरह के सुझावों/अभ्यावेदनों की प्राप्ति एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है और समय-समय पर इनकी जांच की जाती है और व्यवहार्य तथा औचित्यपूर्ण पाए जाने पर कार्रवाई की जाती है।

अमृत भारत स्टेशन योजना सहित स्टेशनों का विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण आम तौर पर योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएं' के तहत वित्तपोषित किया जाता है। योजना शीर्ष-53 के तहत आबंटन और व्यय का विवरण क्षेत्रीय रेल-वार रखा जाता है, न कि कार्य-वार या स्टेशन-वार या राज्य-वार। महाराष्ट्र राज्य चार रेलवे ज़ोनों अर्थात्, मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे के क्षेत्राधिकार में आता है। इन क्षेत्रों के लिए, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 3,834 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है, जिसमें से अब तक 3,122 करोड़ रुपए का व्यय (दिसंबर, 2025 तक) किया गया है।

संरक्षा:

भारतीय रेल में संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। पिछले कुछ वर्षों में किए गए विभिन्न संरक्षा उपायों के परिणामस्वरूप, दुर्घटनाओं की संख्या में भारी गिरावट आई है।

परिणामी रेलगाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या कम हो गई है जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

वर्ष	परिणामी दुर्घटनाएं
2014-15	135
2025-26 (31.01.2026 तक)	12 (90% की कमी)

रेलगाड़ी परिचालन में संरक्षा में सुधार दर्शाने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण सूचकांक परिणामी दुर्घटना सूचकांक है, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:


परिणामी दुर्घटना सूचकांक:-

वर्ष	दुर्घटना सूचकांक
2014-15	0.11
2024-25	0.03 (73% की कमी)

यह सूचकांक सभी रेलगाड़ियों के कुल चालन किलोमीटर के अनुपात के रूप में परिणामी दुर्घटनाओं की संख्या को मापता है।

दुर्घटना सूचकांक =

$$\frac{\text{परिणामी दुर्घटनाओं की संख्या}}{\text{रेलगाड़ियों की संख्या x मिलियन किलोमीटर चालन}}$$



रेलगाड़ी परिचालन में संरक्षा का संवर्धन करने के लिए किए गए विभिन्न संरक्षा संबंधी उपाय निम्नानुसार हैं:-

1. भारतीय रेल में पिछले कुछ वर्षों में संरक्षा संबंधी गतिविधियों पर व्यय को बढ़ाया गया है, जो निम्नानुसार है:-

संरक्षा संबंधी गतिविधियों पर व्यय/बजट (करोड़ रु. में)				
2013-14	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
39,200	87,336	1,01,662	1,14,022	1,17,693

2. मानवीय चूक के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के लिए, 31.12.2025 की स्थिति के अनुसार 6,660 रेलवे स्टेशनों पर कांटों एवं सिगनलों के केंद्रीकृत परिचालन के साथ विद्युत/इलेक्ट्रॉनिक अंतर्पाशन प्रणाली की व्यवस्था की गई है।
3. समपार रेलफाटकों पर संरक्षा का संवर्धन करने के लिए, 31.12.2025 की स्थिति के अनुसार 10,097 समपार रेलफाटकों पर अंतर्पाशन की व्यवस्था की गई है।
4. संरक्षा का संवर्धन करने के लिए 31.12.2025 की स्थिति के अनुसार 6,665 रेलवे स्टेशनों पर विद्युत साधनों द्वारा रेलपथ अभियोग के सत्यापन द्वारा रेलवे स्टेशनों के पूर्ण रेलपथ परिपथन की व्यवस्था की गई है।
5. कवच एक अत्यधिक प्रौद्योगिकी गहन प्रणाली है, जिसके लिए उच्चतम स्तर के संरक्षा प्रमाणन की आवश्यकता होती है। कवच को जुलाई 2020 में राष्ट्रीय एटीपी प्रणाली के रूप में अपनाया गया था। दक्षिण मध्य रेल में 1465 मार्ग किलोमीटर पर कवच संस्करण 3.2 की तैनाती और प्राप्त अनुभव के आधार पर, आगे सुधार किए गए थे। अंततः 16.07.2024 को अअमासं द्वारा कवच विशिष्ट संस्करण 4.0 अनुमोदित किया गया था।

व्यापक और विस्तृत परीक्षणों के बाद, कवच संस्करण 4.0 को 1297 मार्ग किलोमीटर पर सफलतापूर्वक चालू किया गया है, जिसमें उच्च घनत्व वाले दिल्ली -

- मुंबई और दिल्ली - हावड़ा मार्ग शामिल हैं। दिल्ली - मुंबई मार्ग पर कवच संस्करण 4.0 को जंक्शन केबिन - पलवल - मथुरा - नागदा रेलखंड (667 मार्ग किलोमीटर) और अहमदाबाद - वडोदरा - विरार खंड (432 मार्ग किलोमीटर) पर तथा दिल्ली - हावड़ा मार्ग पर गया - सरमतनर (93 मार्ग किलोमीटर) और वर्धमान - हावड़ा रेलखंड (105 मार्ग किलोमीटर) पर चालू किया गया है।
6. सिगनल प्रणाली की संरक्षा से संबंधित मुद्दों जैसे अनिवार्य समरूपता जांच, परिवर्तन कार्य प्रोटोकॉल, समापन आरेखण तैयार करने आदि के संबंध में विस्तृत अनुदेश जारी किए गए हैं।
 7. प्रोटोकॉल के अनुसार सिगनल एवं दूरसंचार उपस्करों के लिए डिस्कनेक्शन और रिकनेक्शन प्रणाली पर पुनः बल दिया गया है।
 8. लोको पायलटों की सतर्कता में सुधार लाने के लिए सभी रेलइंजनों में सतर्कता नियंत्रण उपकरण (वीसीडी) लगाए गए हैं।
 9. मास्ट पर रेट्रो-रिफ्लेक्टिव सिग्मा बोर्ड उपलब्ध कराए जाते हैं, जो विद्युतीकृत क्षेत्रों में सिगनलों से दो शिरोपरि उपस्कर मास्ट से पहले मौजूद होता है ताकि कोहरे के मौसम के कारण दृश्यता कम होने पर चालकदल को आगे मौजूद सिगनल के बारे में सचेत किया जा सके।
 10. कोहरे से प्रभावित क्षेत्रों में लोको पायलटों के लिए जीपीएस आधारित फॉग सेफ्टी डिवाइस (एफएसडी) उपलब्ध कराया जाता है जो लोको पायलटों को अगले थलचिहनों यथा सिगनल, समपार रेलफाटकों आदि की दूरी जानने में समर्थ बनाते हैं।
 11. प्राथमिक रेलपथ नवीकरण करते समय आधुनिक रेलपथ संरचना इस्तेमाल की जा रही है जिसमें 60 किलोग्राम, 90 चरम तन्य सामर्थ्य पटरियां, लचीले जुड़नारों के साथ प्रीस्ट्रेसड कंक्रीट स्लीपर (पीएससी) सामान्य/चौड़ा आधार स्लीपर, पीएससी स्लीपरों पर पंखानुमा विन्यास के टर्नआउट, गर्डर पुलों पर स्टील चैनल/एच-बीम स्लीपर शामिल हैं।
 12. मानवीय त्रुटियों का न्यूनीकरण करने के लिए पीक्यूआरएस, टीआरटी, टी-28 आदि जैसी रेलपथ मशीनों के उपयोग द्वारा रेलपथ बिछाने की गतिविधियों का यांत्रिकीकरण।

13. रेलपथ नवीकरण की प्रगति बढ़ाने और जोड़ों के वेल्डन से बचने के लिए 130 मीटर/260 मीटर लंबे पटरी पैनलों की आपूर्ति को अधिकतम करना, जिसके द्वारा संरक्षा में सुधार होता है।
14. दोष का पता लगाने और दोषपूर्ण पटरियों को समय पर हटाने के लिए पटरियों का पराश्रव्य दोष संसूचन परीक्षण (यूएसएफडी)।
15. अधिक लंबी पटरियां बिछाना, एल्यूमिनो थर्मिक वेल्डन के उपयोग को कम करना और पटरियों के लिए बेहतर वेल्डन तकनीक अर्थात् फ्लैश बट वेल्डन को अपनाना।
16. ओएमएस (दोलन निगरानी प्रणाली) और टीआरसी (रेलपथ अभिलेखी यानों) द्वारा रेलपथ भूमिति की निगरानी।
17. वेल्डन/पटरियों की दरारों का पता लगाने के लिए रेल पटरियों पर गश्त लगाना।
18. टर्नआउट नवीकरण कार्यों में थिक वेब स्विच और वेल्डन योग्य सीएमएस पारणों का उपयोग।
19. संरक्षा पद्धतियों के अनुपालन हेतु कर्मचारियों की निगरानी और जागरूक करने के लिए नियमित अंतराल पर निरीक्षण किए जाते हैं।
20. रेलपथ परिसंपत्तियों की वेब आधारित ऑनलाइन निगरानी प्रणाली अर्थात् युक्तिसंगत अनुरक्षण आवश्यकता का निर्णय लेने और साधन-सामग्री को इष्टतम बनाने के लिए रेलपथ डेटाबेस और निर्णय सहायता प्रणाली को अपनाया गया है।
21. रेलपथ की संरक्षा संबंधी मुद्दों अर्थात् एकीकृत ब्लॉक, गलियारा ब्लॉक, कार्यस्थल संरक्षा, मानसून पूर्वोपाय आदि के संबंध में विस्तृत अनुदेश जारी किए गए हैं।
22. रेलगाड़ियों का संरक्षित परिचालन सुनिश्चित करने के लिए रेल परिसंपत्तियों (सवारी डिब्बों एवं मालडिब्बों) का निवारक अनुरक्षण किया जाता है।
23. पारंपरिक सडिका डिजाइन के रेल डिब्बों को एलएचबी डिजाइन के रेल डिब्बों से बदला जा रहा है।
24. जनवरी 2019 तक बड़ी लाइन मार्ग पर बिना चौकीदार वाले सभी समपारों को समाप्त कर दिया गया है।
25. पुलों का नियमित निरीक्षण करके रेल पुलों की संरक्षा सुनिश्चित की जाती है। इन निरीक्षणों के दौरान आंकी गई दशाओं के आधार पर पुलों की मरम्मत/पुनर्स्थापन कार्य किया जाता है।

26. भारतीय रेल ने सभी सवारी डिब्बों में यात्रियों की व्यापक सूचना के लिए सांविधिक "अग्नि सूचनाएं" प्रदर्शित की गई हैं। प्रत्येक सवारी डिब्बे में आग संबंधी पोस्टर लगाए गए हैं ताकि यात्रियों को आग लगने की रोकथाम करने के लिए 'क्या करें' और 'क्या न करें' के बारे में शिक्षित और सचेत किया जा सके। इसमें सवारी डिब्बों के भीतर ज्वलनशील वस्तुएँ, विस्फोटकों को नहीं ले जाने, धूमपान नहीं करने, जुर्माना आदि से संबंधित संदेश शामिल हैं।
27. उत्पादन इकाइयां नवनिर्मित पावर कारों और रसोई यानों में आग संसूचन एवं शमन प्रणाली तथा नवनिर्मित सवारी डिब्बों में आग एवं धूम संसूचन प्रणाली उपलब्ध करा रही हैं। क्षेत्रीय रेलों द्वारा मौजूदा सवारी डिब्बों में चरणबद्ध विधि से उत्तरोत्तर फिटमेंट किया रहा है।
28. कर्मचारियों को नियमित परामर्श और प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
29. दिनांक 30.11.2023 की राजपत्र अधिसूचना के तहत भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण नियम में चलायमान ब्लॉक प्रत्यय की शुरुआत किया गया था, जिसमें चलायमान आधार पर अग्रिम में 52 सप्ताह तक परिसंपत्तियों के एकीकृत अनुरक्षण/मरम्मत/प्रतिस्थापन के कार्य की योजना बनाई जाती है और योजना के अनुसार निष्पादित किया जाता है।

रेलवे द्वारा किए गए बेहतर अनुरक्षण पद्धतियों, प्रौद्योगिकीय सुधारों, बेहतर अवसंरचना और चल स्टॉक आदि के संबंध में संरक्षा संबंधी कार्यों का ब्यौरा निम्नानुसार सारणीबद्ध है:-

क्र. सं.	मद	2004-05 से 2013-14	2014-15 से 2024-25	2004-14 की तुलना में 2014-25
प्रौद्योगिकीय सुधार				
1.	उच्च-गुणवत्ता वाली पटरियों का उपयोग (60 किलोग्राम) (किलोमीटर)	57,450 किलोमीटर	1.43 लाख किलोमीटर	2 गुना से अधिक

2.	अधिक लंबी रेल पटरियां (260 मीटर) (किलोमीटर)	9,917 किलोमीटर	77,522 किलोमीटर	लगभग 8 गुना
3.	इलेक्ट्रॉनिक अंतर्पाशन (रेलवे स्टेशन)	837 स्टेशन	3,691 स्टेशन	4 गुना से अधिक
4.	कोहरा पास संरक्षा उपकरण (अदद)	31.03.14 तक 90 अदद	31.03.25 तक 25,939	288 गुना
5.	थिक वेब स्विच (अदद)	शून्य	28,301 अदद	
बेहतर अनुरक्षण पद्धतियां				
1.	प्राथमिक रेल नवीकरण (रेलपथ किलोमीटर)	32,260 किलोमीटर	49,941 किलोमीटर	1.5 गुना
2.	यूएसएफडी (पराश्रव्य दोष संसूचन) वेल्डन परीक्षण (अदद)	79.43 लाख	2 करोड़	2 गुना से अधिक
3.	वेल्डन की खराबियां (अदद)	2013-14 में: 3699 अदद	2024-25 में: 370 अदद	90% कमी
4.	पटरियों में दरारें (अदद)	2013-14 में: 2548 अदद	2024-25 में: 289 अदद	88% से ज्यादा कमी
बेहतर अवसंरचना एवं चल स्टॉक				
1.	जोड़े गए नए रेलपथ किलोमीटर (रेलपथ किलोमीटर)	14,985 किलोमीटर	34,428 किलोमीटर	2 गुना से अधिक

2.	फलाईओवर (आरओबी)/ अंडरपास (आरयूबी) (अदद)	4,148 अदद	13,808 अदद	3 गुना से अधिक
3.	बड़ी लाइन पर बिना चौकीदार वाले समपार (अदद)	31.03.14 तक: 8948	31.03.24 तक: शून्य (31.01.19 तक सभी समाप्त कर दिए गए)	समाप्त कर दिए गए
4.	एलएचबी सवारी डिब्बों का विनिर्माण (अदद)	2,337 अदद	42,677	18 गुना से अधिक
